(घ) जी, हां। रणथम्भौर बाघ परियोजना में कार्यरत एक कर्मचारी 5-12-91 को रेलवे लाइन के निकट मृत पाया गया था। इस मामले की पहले ही रेलवे पुलिस जांच कर रही है, क्योंकि वह क्षेत्र उसके अधिकार क्षेत्र में आता है।

विवरण

देश में बाघ परियोजना क्षेत्रों की संख्या 18 है। सभी बाघ रिजर्वों में गणना सामान्यतः पांच वर्षों में एक बार की जाती है। 1989 में की गई ऐसी गणना के अनुसार, बाघों की संख्या इस प्रकार है :—

क्र०सं०	बाघ रिजर्व का नाम	बाघों की संख्या
1.	बांदीपुर	50
2.	कारबेट	91
3.	कान्हा	97
4.	मानस	92
5.	मेलघाट	77
6.	पलामू	55
7.	रणथम्भौर	41
8.	सिमलीपाल	93
9.	सुन्दरबन	269
10.	पेरियार	45
11.	सरिस्का	19
12.	बक्सा	33
13.	इन्द्रावती	28
14.	नागार्जुन सागर	94
15.	नामदफा	47
16.	दुधवा	90
17.	कालाकाड मुंडनयुराई	22
18.	वाल्मिकी	81
	कुल	1327

समुद्रीय जल में प्रदूषण

3821. **श्री शांति त्यागी :** क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारत की तटीय सीमा से लगे समुद्र में औद्योगिक एककों से रसायन युक्त पानी के बहाव, कृषि भूमि से पानी के साथ बहकर आने वाले कीटनाशक पदार्थों के कारण समुद्र में प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस प्रदूषण से समुद्री जीवों के जीवन को खतरा पैदा हो गया है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) जी, हां। उद्योगों और घरेलू मलजल से होने वाले प्रदूषण के कारण समुद्री जीवों के लिए विशेषकर मैरीन आउट फाल के आसपास के समुद्री जीवों के लिए खतरा पैदा हो रहा है।

(ग) समुद्री प्रदूषण को कम करने के लिए उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल है :—

(1) प्रदूषण के स्रोत स्थलों का पता लगाया गया है।

(2) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तटीय जल के लिए मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(3) जहां कहीं जरूरी होता है, उद्योगों/नगरपालिकाओं से डिफ्यूजर सिस्टम वाले मैरीन आउटफालों का निर्माण करने के निदेश दिए गए हैं।

(4) केन्द्रीय सरकार ने सामान्य अनुदेश जारी किए हैं कि समुद्री तट रेखा से 500 मीटर के भीतर किसी उद्योग/कारखाने की स्थापना करने की अनुमति न दी जाए ।

राजस्थान में वन संरक्षण हेतु चुने गये क्षेत्र

3822. **श्री मूलचन्द मीणा** : क्या **पर्यावरण और वन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान राज्य में वन संरक्षण हेतु किन-किन क्षेत्रों का चयन किया गया है ;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान वन भूमि के अंतर्गत लायी गयी भूमि का जिले-वार ब्यौरा क्या है और इस अवधि के दौरान जिले-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया था; और

(ग) उसमें अब तक क्या प्रगति की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) (क) राजस्थान में विशिष्ट रूप से वन संरक्षण के लिए कोई वन क्षेत्र अभिनिर्धारित नहीं किया गया है ।

(ख) और (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी ।

Constitution of a Committee to suggest an incentive package

3823. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government had constituted a Committee to suggest incentive package for sniftine the Lime Kils from Dehra Doon to Beharigarh in Saharanpur District;

(b) if so, what are the details of the incentive package;

(c) whether the Lime Kilns have since been shifted;

(d) if so, the details thereof; and

(e) if not, what are the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS (SHRI KAMAL NATH): (a) Yes, Sir.

(b) The suggested package covers tentative cost of land development of infrastructural facilities, setting up of new Kilns with pollution control facilities etc. at the identified site. One time incentive will be given only at the time of shifting of the working klins. No compensation is payable for closing down the working kilns in Doon Valley. The committee recommended sharing of the expenditure for such a shifting between Central/State Government and the industry.

(d) Does not arise.

(c) No, Sir.

(e) The recommendations of the Committee are yet to be accepted as it needs discussion between State and Central Governments.

Notification under the Environment (Protection) Act

3824. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the Minister of ENVIRONMENT AND FORESTS be pleased to state:

(a) whether Government had issued a notification under the Enrvironment (Protection) Act, 1986 to ban certain activities and to categories the coastal areas into certain regolation zones;

(b) if so, the details of the activities which were banned within the 500 m. of the high tide line;

(c) whether it is a fact that some of the banned activities have since been permitted; and

(d) if so, the details thereof and the reasons therefor?